


२४-६-१७

पञ्जावणी कोर्ट कैंम्प न्याय भाग के हार - २०१७
 कैंम्प रीकॉर्ड में दिनांक २४-६-२०१७ को अनुव
 तुर्गे! पार्वीया का पार्वीया पर स्वीकार
 किया जाकर निर्णीत किया गया निर्णय शोरेण
 भाला के लिए जाकर पञ्जावणी फेडरल सुप्रीम
 होकर नभर है कर है।


 उपखण्ड अधिकारी एवं
 प्रदेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :- 307/2017

1. प्रेमदेवी पत्नी रामगोपाल माली, निवासी संजय कोलोनी भीलवाडा।

—प्रार्थिया

बनाम

1. मोती पिता उंकार खारोल, निवासी रीछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. भैरूलाल पिता मोहन खारोल, निवासी रीछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. राधेश्याम पिता मोहन खारोल, निवासी रीछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. दुदा पिता उंकार खारोल, निवासी रीछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. देबी पिता उंकार खारोल, निवासी रीछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. छीतर पिता श्रीराम रेगर निवासी रीछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राज.अधि., 1956

निर्णय दिनांक 28.06.2017

प्रार्थिया के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू-राज. अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 14.06.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हुर्णियाखेडा, पटवार हल्का रीछडा, तहसील व जिला भीलवाडा-में स्थित प्रार्थिया की आराजी संख्या 1698/2 रकबा 0-15 बीघा, आराजी संख्या 1699 रकबा 01-03 बीघा, आराजी संख्या 1705 रकबा 01-12 बीघा, आराजी संख्या 1707/1 रकबा 0-12 बीघा, कुल कित्ता 04 कुल रकबा 04-02 बीघा भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थिया एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थिया अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थिया के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 06 उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थिया स्वयं के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम हुर्णियाखेडा, पटवार हल्का रीछडा, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थिया की आराजी संख्या 1698/2 रकबा 0-15 बीघा, आराजी संख्या 1699 रकबा 01-03 बीघा, आराजी संख्या 1705 रकबा 01-12 बीघा, आराजी संख्या 1707/1 रकबा 0-12 बीघा, कुल किता 04 कुल रकबा 04-02 बीघा भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकरान की उपस्थिति में करा देंगे। प्रार्थिया इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 500/- अक्षरे पाँच सौ रुपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रुपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 28.06.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फौसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)

उपखण्ड अधिकारी सैवर

पदेन सहायक कलेक्टर, भीलवाडा

पदेन सहायक कलेक्टर, भीलवाडा